

भारत संघ और अन्य

बनाम

दूध नाथ प्रसाद

4 जनवरी, 2000

[एस. सगीर अहमद और एस. पी. कुर्दुकर, न्यायमूर्ति गण]

सेवा कानून:

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 - धारा 3 - अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आरक्षण - आरक्षित पद पर उम्मीदवार की नियुक्ति - निर्देशों के कंडिका 5 की आवश्यकता - भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1996 - उम्मीदवार सामान्यतः उस राज्य का निवासी होना चाहिए, जिसने उसकी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया हो - आई. ए. एस. परीक्षा के लिए उम्मीदवार का जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ - उम्मीदवार के माता-पिता परीक्षा से पूर्व पिछले तीस वर्षों से पश्चिम बंगाल में निवासरत - राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341(1) एवं अनुच्छेद 366(24) के अधिकार का प्रयोग करते हुए "नुनिया जाति" को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया - निर्णय: उम्मीदवार पश्चिम बंगाल की नुनिया जाति से संबंधित हैं और उसे आरक्षित पद पर सही रूप से नियुक्त किया गया - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 341(1) एवं 366(24) - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 - धारा 20।

शब्द और वाक्यांश--'रहना', 'निवास' और 'सामान्य रूप से रहने वाला'-अर्थ।

उत्तरदाता भारतीय प्रशासनिक एवं संबंधित सेवाओं का सदस्य है। उन्हें 1968 में आरक्षित पद पर नियुक्त किया गया, क्योंकि उन्हें "नुनिया समुदाय" से संबंधित माना गया, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया था। उत्तरदाता का जन्म और शिक्षा बिहार राज्य में हुई थी। तथापि, उनके माता-पिता आई.ए.एस. परीक्षा से पूर्व लगभग 30 वर्षों तक पश्चिम बंगाल राज्य में निवासरत थे।

लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक ने उत्तरदाता के अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को चुनौती दी। उत्तरदाता ने केंद्रीय एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि वह “नुनिया जाति” से संबंधित है और परीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाणपत्र संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूरी तरह जाँच एवं सत्यापित किया गया था और इसे सह-प्रशासकीय अधिकारी, हावड़ा द्वारा उचित रूप से जारी किया गया था, क्योंकि उनके माता-पिता परीक्षा की तिथि से पूर्व 30 वर्षों से अधिक समय तक उस राज्य में निवासरत थे। न्यायिक सदस्य उत्तरदाता के पक्ष में सहमत हुए, परंतु प्रशासनिक सदस्य ने असहमति व्यक्त की। आदेश से असंतुष्ट होकर उत्तरदाता ने दावा याचिका दायर किया। याचिका को मंजूरी दी गई और यह निर्धारित किया गया कि उत्तरदाता वास्तव में “नुनिया” जाति से संबंधित है, जिसे केवल पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। उत्तरदाता के माता-पिता का सामान्य निवास स्थान हावड़ा था, जहाँ से उत्तरदाता ने जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, जो सही और वैध प्रमाणपत्र था। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

निर्णीत : 1.1. सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में निर्देशों के कंडिका 5 में निर्धारित आवश्यकताओं को इस मामले पर लागू करने पर पाया जाएगा कि चूँकि उत्तरदाता के माता-पिता हावड़ा जिले में परीक्षा आयोजित होने से पूर्व 30 वर्षों से अधिक समय तक निवासरत थे, इसलिए जिला अधिकारी या सह-प्रशासकीय अधिकारी कानूनी रूप से जाति प्रमाणपत्र जारी कर सकते थे और यह प्रमाणित कर सकते थे कि उनके माता-पिता सामान्यतः हावड़ा जिले में निवासरत थे। ऐसी स्थिति में, उत्तरदाता के पास सह-प्रशासकीय अधिकारी, हावड़ा से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह पहले से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों से विचलित नहीं हो सकता था। [8-डी-ई; एफ]

1.2 .किसी व्यक्ति के विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवासरत होने का निर्धारण करते समय, उप-धारा 20-(1)(1ए) में उल्लिखित कारक अकेले उसकी स्थिति तय करने के

लिए पर्याप्त नहीं होंगे। यह निर्णय अन्य सभी प्रासंगिक कारकों के विचार के आधार पर लिया जाना चाहिए। यह अधिनियम की धारा 20(7) से स्पष्ट है। [11-बी-सी]

1.3. उत्तरदाता के माता-पिता कभी बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गाँव में रहते थे और वहाँ कुछ संपत्ति के मालिक थे। उन्होंने बहुत पहले पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरण कर लिया था और तब से वहीं निवासरत हैं। अतः सभी दृष्टियों से उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में सामान्यतः निवासरत माना जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 341(1) एवं अनुच्छेद 366(24) के अधिकार का प्रयोग करते हुए पहले ही “नुनिया” जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर दिया था। अतः उत्तरदाता को सही रूप से अनुसूचित जाति उम्मीदवार माना गया और उन्हें आरक्षित पद पर सही रूप से नियुक्त किया गया, जब उन्होंने 1966 में भारतीय प्रशासनिक एवं संबंधित सेवाओं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। [15-ई-जी]

2.1 .शब्द “निवास करना” को परिभाषित किया गया है: “स्थायी रूप से या पर्याप्त समय तक निवास करना; अपनी स्थायी या सामान्य आवास रखना; किसी विशेष स्थान पर रहना या निवास करना।” इसका अर्थ केवल उस स्थान तक सीमित नहीं है जहाँ व्यक्ति की स्थायी आवास हो, बल्कि उस स्थान को भी शामिल करता है जहाँ व्यक्ति ने “पर्याप्त समय” तक निवास किया हो। इसका अर्थ यह भी है: “रहना, निवास करना, ठहरना, अल्प प्रवास करना, ठहरना, बने रहना, डेरा डालना; किसी स्थान पर स्वयं या किसी वस्तु को स्थापित करना, किसी स्थान पर तैनात होना, ठहरना या बने रहना, स्थायी या निरंतर निवास करना, किसी समय के लिए निश्चित आवास रखना, अपनी आवास या निवास स्थान होना; विशेष रूप से, निवास स्थान होना, स्थायी ठिकाना होना, किसी तत्व के रूप में उपस्थित होना, किसी गुण के रूप में अंतर्निहित होना, एक अधिकार के रूप में स्थापित होना।” [11-ई-जी]

2.2 .शब्द “निवास” को परिभाषित किया गया है: “किसी आवास स्थल पर व्यक्तिगत उपस्थिति, बिना तत्काल और निश्चित हटने के इरादे के, और अज्ञात अवधि तक

ठहरने के उद्देश्य के साथ; यह अक्सर स्थायी निवास के इरादे के साथ न भी हो, परंतु आवश्यक रूप से स्थायी रहने की योजना से जुड़ा होना जरूरी नहीं।” [11-जी-एच]

2.3 .यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर “सामान्यतः निवासरत” कहा जाने से पहले, उसके पास उस स्थान पर काफी लंबे समय तक रहने का इरादा होना आवश्यक है। इसमें केवल एक तात्कालिक दौरा या उस स्थान पर संक्षिप्त या आकस्मिक उपस्थिति शामिल नहीं होगी। चूँकि उत्तरदाता के माता-पिता स्वीकार्य रूप से हावड़ा जिले में 30 वर्षों से अधिक समय से निवासरत थे, उन्हें उस जिले में “सामान्यतः निवासरत” माना जाएगा और केवल इस तथ्य से कि उनके पास बिहार राज्य के सिवान जिले के किसी गाँव में कुछ संपत्ति थी, उनकी स्थिति प्रभावित नहीं होगी। [12-बी-सी; 8-ई]

जागीर कौर और एक अन्य बनाम जसवंत सिंह, [1964] 2 एससीआर 73, का उल्लेख किया गया है।

ऑक्सफोर्ड शब्द कोष; ब्लैक लॉ शब्द कोष, V वां संस्करण, संदर्भित।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1991 की दीवानी अपील संख्या 1387

1986 के ओ. ए. सं. 444 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के दिनांकित 15.12.87 के निर्णय और आदेश से।

पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री नंदिनी गोर और पी. परमेश्वरन अपीलकर्ता के लिए।

उत्तरदाता की ओर से सुश्री अंबिका प्रताप सिंह, एस. पी. सिन्हा, मधु सरन और ए. शरण।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति एस. सगीर अहमद द्वारा प्रदान किया गया:

उत्तरदाता भारतीय प्रशासनिक एवं संबद्ध सेवाओं के सदस्य हैं। उन्हें वर्ष 1968 में एक आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि उन्हें “नुनिया” समुदाय का सदस्य माना गया था, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया था, न कि बिहार राज्य में, जहाँ उत्तरदाता का जन्म हुआ था और जहाँ उन्होंने स्नातक स्तर तक

अपनी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। इसी कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उत्तरदाता को लिखा कि उन्हें अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। यह पत्र उत्तरदाता को उस समय प्राप्त हुआ जब वे उप महालेखाकार के रूप में कार्यरत थे और उन्हें कोलंबो योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में वित्तीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए चयनित किया गया था। उन्होंने अपनी सभी तैयारियां कर ली थीं तथा यूनाइटेड किंगडम जाने के लिए विमान टिकट भी खरीद लिया था, परन्तु उक्त पत्र प्राप्त होने पर उनका संपूर्ण कार्यक्रम बाधित हो गया।

उत्तरदाता ने इस चरण पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का रुख किया, जहाँ उन्होंने यह आग्रह किया कि वह “नुनिया” जाति से संबंधित हैं और परीक्षा के समय प्रस्तुत किया गया उनका जाति प्रमाणपत्र, जिसे केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जाँच और सत्यापित किया गया था, सह-प्रशासकीय अधिकारी, हावड़ा द्वारा विधिवत् जारी किया गया था, क्योंकि उनके माता-पिता परीक्षा आयोजित होने की तिथि से पूर्व 30 वर्षों से अधिक अवधि तक उस राज्य में निवासरत थे। उनका यह तर्क न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया, किन्तु प्रशासनिक सदस्य सहमत नहीं हुए और उन्होंने असहमति पूर्ण निर्णय दिया। परिणामस्वरूप, यह मामला अध्यक्ष को संदर्भित किया गया, जिन्होंने 15.2.1987 के अपने निर्णय एवं आदेश द्वारा—जो इस अपील में चुनौती के अधीन है—न्यायिक सदस्य से सहमति व्यक्त की, और यह पाया कि उत्तरदाता वास्तव में “नुनिया” जाति से संबंधित हैं, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में विधिवत् अधिसूचित किया गया था। यह भी पाया गया कि उत्तरदाता के माता-पिता का सामान्य निवास स्थान हावड़ा था, जहाँ से उत्तरदाता ने जाति प्रमाणपत्र प्राप्त किया था और वह प्रमाणपत्र सही एवं वैध था। इन निष्कर्षों के आधार पर दावा याचिका स्वीकार कर ली गई, और इसी निर्णय के विरुद्ध भारत संघ ने हमारे समक्ष यह अपील दायर की है।

श्री पी.पी. मल्होत्रा, भारत संघ की ओर से उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि दावा याचिका को स्वीकार करते समय न्यायाधिकरण ने एक गंभीर त्रुटि की, क्योंकि उसने इस महत्वपूर्ण तथ्य के वास्तविक प्रभाव पर विचार नहीं किया कि उत्तरदाता का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिले के एक गाँव में हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने भी बिहार की ही एक विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की थी और अतः, सभी दृष्टियों से, उन्हें बिहार के “नुनिया” समुदाय का सदस्य माना जाना चाहिए, जिसे उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया था।

इसके विपरीत, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि यह तथ्य निर्विवाद है कि उत्तरदाता के माता-पिता हावड़ा जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा परीक्षा आयोजित होने की तिथि से पूर्व 30 वर्षों से अधिक समय तक निवासरत थे, अतः उनका सामान्य निवास स्थान हावड़ा जिला ही था। इसलिए, सह-प्रशासकीय अधिकारी, हावड़ा द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र उचित एवं वैध था, और उसी के आधार पर उत्तरदाता को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई, तथा चयनित होने पर उन्हें सेवा में विधिवत नियुक्त किया गया।

न्यायाधिकरण द्वारा स्थापित किए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

(क) उत्तरदाता तथा उनके माता-पिता स्वीकार्य रूप से “नुनिया” जाति से संबंधित हैं, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, परंतु बिहार राज्य में नहीं।

(ख) उत्तरदाता के माता-पिता उत्तरदाता के भारतीय प्रशासनिक एवं संबद्ध सेवाओं में शामिल होने से पूर्व अधिक से अधिक 30 वर्षों तक निरंतर जिला हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में निवासरत थे।

(ग) पश्चिम बंगाल आने से पूर्व उत्तरदाता के माता-पिता बिहार राज्य के सिवान जिले के गांव चँचोपली में रहते थे, जहाँ वे कुछ संपत्ति के भी स्वामी थे।

- (घ) (i) उत्तरदाता का जन्म उसी गाँव में 3.2.1940 को हुआ।
- (ii) उत्तरदाता ने अपनी प्रारंभिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा बिहार में प्राप्त की और बिहार के ही एक महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया।
- (iii) उत्तरदाता ने कलकत्ता स्थित सीमा शुल्क भवन में सेवा में कार्यभार ग्रहण किया।
- (iv) कस्टम हाउस में कार्यरत रहते हुए उत्तरदाता ने अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र हेतु आवेदन किया, जो सह-प्रशासकीय अधिकारी, सदर, हावड़ा द्वारा 16.7.1965 को जारी किया गया।
- (v) उत्तरदाता ने संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष आईएएस परीक्षा हेतु आवेदन किया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि वह “नुनिया” जाति से संबंधित हैं, जिसे पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है, तथा उनके माता-पिता सामान्यतः जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में निवासरत हैं।
- (vi) संघ लोक सेवा आयोग ने आवश्यक जांच-पड़ताल की और अपने पत्र दिनांक 6.2.1967 के माध्यम से उत्तरदाता को नुनिया समुदाय (अनुसूचित जाति), जिला हावड़ा (प. बंगाल) का सदस्य मानते हुए उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1966 के लिए उम्मीदवारी की पुष्टि की।
- (vii) उत्तरदाता परीक्षा में सफल हुए और सरकार ने उनके चरित्र एवं सत्यापन के उपरांत वर्ष 1968 में उन्हें भारतीय प्रशासनिक एवं संबद्ध सेवाओं में अनुसूचित जाति के आरक्षित पद पर नियुक्त कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि चूँकि उत्तरदाता के माता-पिता मूलतः बिहार राज्य के निवासी थे, जहाँ उनकी संपत्ति भी थी, तथा जहाँ उत्तरदाता का जन्म, पालन-पोषण और शिक्षा हुई, इसलिए न तो उत्तरदाता को

पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी माना जा सकता है और न ही उनके माता-पिता को पश्चिम बंगाल में सामान्यतः निवासरत माना जा सकता है। फलस्वरूप, “नुनिया” समुदाय, जिसे केवल पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, के लिए उपलब्ध आरक्षण का उत्तरदाता को लाभ नहीं दिया जा सकता। अब हम इस तर्क के गुण-दोष का परीक्षण करते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा, 1966 हेतु भारत सरकार के अधीन प्रकाशित पुस्तिका में जारी “उम्मीदवारों के लिए निर्देश” के कंडिका 5 में निम्नलिखित प्रावधान उल्लेखित है :

“5. ऐसा उम्मीदवार जो यह दावा करता है कि वह अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों में से किसी एक से संबंधित है, उसे अपने दावे के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो निम्नलिखित प्रपत्र के अनुसार हो तथा — जिले के अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उस जिले के किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जहाँ उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवासरत हों और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नामित किया गया हो। यदि दोनों माता-पिता दिवंगत हों, तो प्रमाणपत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जहाँ वह स्वयं सामान्यतः निवास करता हो, बशर्ते कि उसका निवास केवल अपनी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से न हो।

दिल्ली राज्य का कोई उम्मीदवार ऐसा प्रमाणपत्र प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, वैतनिक दंडाधिकारी, अथवा राजस्व सहायक से भी प्रस्तुत कर सकता है।”

जिस प्रपत्र पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है, उसका प्रारूप ऊपर उल्लिखित कंडिका 5 में दिया गया है। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रारूप। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री निवासी ग्राम, जिला, तहसील/प्रखंड/मंडल, राज्य, उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 तथा संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती तथा/अथवा उनका परिवार सामान्यतः राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के जिला/प्रमंडल में निवास करता/करते है/हैं।

हस्ताक्षर:

दिनांक :

पदनाम (कार्यालयकी मुहर

सहित)

मुहर

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

टिपण्णी : यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निर्धारित किया गया है।

निर्देशों' के कंडिका 5 के अनुसार, अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र उस जिले के जिला अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी आदि द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जहाँ अभ्यर्थी के माता-पिता 'सामान्यतः निवास' करते हों। यदि अभ्यर्थी स्वयं शिक्षा के उद्देश्य से किसी अन्य स्थान पर रह रहा हो, तब भी उसे उसी जिले के जिला अधिकारी आदि द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत

करना आवश्यक होगा, जहाँ उसके माता-पिता 'सामान्यतः निवास' करते थे। किन्तु, यदि दोनों माता-पिता का निधन हो चुका हो, तो अभ्यर्थी उस जिले के जिला अधिकारी आदि द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है, जहाँ वह स्वयं 'सामान्यतः निवास' करता हो, बशर्ते कि वह निवास केवल शिक्षा के उद्देश्य से न हो।”

निर्देशों के कंडिका 5 में उल्लिखित आवश्यकताओं को इस वाद के तथ्यों पर लागू करने पर यह स्पष्ट होता है कि चूँकि उत्तरदाता के माता-पिता, स्वीकार्य रूप से, संबंधित परीक्षा के आयोजन से पूर्व जिला हावड़ा में 30 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे थे, अतः इस प्रकरण में जिला अधिकारी अथवा, इस संदर्भ में, अनुमंडल पदाधिकारी विधिक रूप से जाति प्रमाण-पत्र जारी करने तथा यह प्रमाणित करने के लिए सक्षम थे कि उसके माता-पिता जिला हावड़ा में 'सामान्यतः निवासरत' थे। केवल इस तथ्य से कि उत्तरदाता ने शिक्षा के उद्देश्य से बिहार राज्य में निवास किया तथा वहीं के किसी महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उसके माता-पिता की उस स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो परीक्षा से पूर्व ही जिला हावड़ा में 30 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे थे और जिन्हें परिणामस्वरूप जिला हावड़ा में 'सामान्यतः निवासरत' माना जा सकता है। शिक्षा के प्रयोजन से बिहार राज्य में उत्तरदाता के अस्थायी निवास से उसके माता-पिता की उक्त स्थिति प्रभावित नहीं होती। ऐसी स्थिति में उत्तरदाता के पास अनुमंडल पदाधिकारी, हावड़ा से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में जारी 'निर्देशों' से विचलित नहीं हो सकता था।

न्यायाधिकरण ने तथ्य के रूप में यह पाया है कि उत्तरदाता के माता-पिता जिला हावड़ा में स्थायी रूप से बस गए थे और लगभग 30 वर्षों से वहीं निवास कर रहे थे। अतः सभी प्रयोजनों एवं आशयों के लिए वे हावड़ा में 'सामान्यतः निवासरत' थे। जिस परीक्षा में उत्तरदाता ने भाग लिया था, वह भारतीय प्रशासनिक तथा संबद्ध सेवाओं में भर्ती हेतु

आयोजित वर्ष 1966 की परीक्षा थी, जो उत्तरदाता के माता-पिता द्वारा जिला हावड़ा में स्थायी रूप से बसने के लगभग 30 वर्ष पश्चात् आयोजित की गई थी।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि 'निर्देशों' के कंडिका 5 में संलग्न 'टिप्पणी' के आलोक में 'सामान्यतः निवास करना' शब्द-प्रयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निहित अर्थ के अनुरूप ही समझा जाना चाहिए; और यदि उस अर्थ को ग्रहण किया जाए, तो उत्तरदाता को पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी नहीं माना जा सकता तथा परिणामस्वरूप वह उस अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता, जिसके द्वारा 'नुनिया' समुदाय को उक्त राज्य में अनुसूचित जाति घोषित किया गया था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

“20. 'सामान्यतः निवासी' का अर्थ—

(1) किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कि वह किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी आवासीय भवन का स्वामी है या उसके कब्जे में है, उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्यतः निवासी' नहीं माना जाएगा।

(1क) कोई व्यक्ति यदि अपने सामान्य निवास-स्थान से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहता है, तो मात्र इस कारण से वह उस स्थान का 'सामान्यतः निवासी' होना समाप्त नहीं करेगा।

(1ख) संसद का कोई सदस्य अथवा किसी राज्य की विधानमंडल का कोई सदस्य, अपने पदावधि के दौरान, केवल इस कारण से कि वह उस निर्वाचन क्षेत्र से—जिसकी निर्वाचक नामावली में उसका नाम, ऐसे सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के समय दर्ज था—अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में अनुपस्थित रहता है, उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्यतः निवासी' होना समाप्त नहीं करेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे संस्थान में रोगी है, जिसे पूर्णतः या मुख्यतः मानसिक रोग या मानसिक विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के ग्रहण एवं उपचार के लिए बनाए रखा गया है, अथवा जो किसी कारागार या अन्य विधिक अभिरक्षा में किसी स्थान पर निरुद्ध है, केवल इस कारण से उस स्थान का 'सामान्यतः निवासी' नहीं माना जाएगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसके पास सेवा-योग्यता है, किसी भी तिथि को उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतः निवासी माना जाएगा, जिसमें वह, यदि उसके पास ऐसी सेवा-योग्यता न होती, उस तिथि को सामान्यतः निवासी होता।

(4) कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी ऐसे पद को धारण करता है, जिसे राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात इस उप-धारा के प्रावधानों के अधीन घोषित किया है, किसी भी तिथि को उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्यतः निवासी' माना जाएगा, जिसमें वह, यदि वह ऐसा पद धारण न करता, उस तिथि को सामान्यतः निवासी होता।

(5) उप-धारा (3) या उप-धारा (4) में उल्लिखित किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से सत्यापित किया गया यह कथन कि यदि उसके पास सेवा-योग्यता न होती अथवा यदि वह उप-धारा (4) में उल्लिखित कोई पद धारण न करता, तो वह किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर किसी तिथि को सामान्यतः निवासी होता—विपरीत साक्ष्य के अभाव में सही माना जाएगा।

(6) उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की पत्नी, यदि वह सामान्यतः ऐसे व्यक्ति के साथ निवास करती हो, तो उसे उपधारा (5) के अधीन उस व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र की साधारण निवासी माना जाएगा।

(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रासंगिक समय पर सामान्यतः निवासी है या नहीं, तो उस प्रश्न का निर्धारण मामले के समस्त

तथ्यों के संदर्भ में तथा इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयुक्त से परामर्श कर बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(8) उप-धारा (3) तथा (5) में 'सेवा-योग्यता' से अभिप्राय है—

(क) संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य होना; या

(ख) ऐसी किसी सेना का सदस्य होना, जिस पर सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के प्रावधान, संशोधनों सहित या बिना संशोधनों के, लागू किए गए हों; या

(ग) किसी राज्य की सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य होना, जो उस राज्य से बाहर सेवा कर रहा हो; या

(घ) भारत सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियोजित व्यक्ति होना, जो भारत के बाहर स्थित हो।”

धारा 20, जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के प्रयोजनों से अधिनियमित विधि का एक अंग है, अनेक वर्गों के व्यक्तियों की परिकल्पना करती है, जिनमें सेवा में कार्यरत व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। यह धारा यह निर्धारित करती है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में 'सामान्यतः निवासरत' माना जाएगा। धारा 20 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1क) नकारात्मक भाषा में विन्यस्त हैं। धारा 20 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी आवासीय भवन का स्वामी है अथवा उसके कब्जे में है, तो मात्र इस आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्यतः निवासी' नहीं माना जाएगा। उप-धारा (1क) यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति की अपने 'सामान्य निवास-स्थान' से अस्थायी अनुपस्थिति अप्रभावी होगी और केवल इसी कारण से वह उस निर्वाचन क्षेत्र का 'सामान्यतः निवासी' होना समाप्त नहीं करेगा। अतः यह निर्धारित करते समय कि कोई व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहा था या नहीं, धारा 20 की उप-धारा (1)

तथा उप-धारा (1क) में उल्लिखित तत्व मात्र ही उसकी स्थिति के निर्धारण के लिए निर्णायक नहीं होंगे, बल्कि इस प्रश्न का निर्णय अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करके किया जाना होगा। यह बात धारा 20 की उप-धारा (7) के पठन से भी स्पष्ट होती है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी मामले में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति किसी प्रासंगिक समय पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्यतः निवास कर रहा था या नहीं, तो उस प्रश्न का निर्धारण मामले के समस्त तथ्यों के संदर्भ में तथा इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्वाचन आयुक्त से परामर्श कर बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।

“निवास करना” शब्द का अर्थ ऑक्सफोर्ड शब्द कोष में इस प्रकार वर्णित है—“किसी स्थान पर स्थायी रूप से या पर्याप्त अवधि तक निवास करना; अपनी स्थायी या सामान्य आवास स्थान होना; किसी विशेष स्थान पर निवास करना।’ अतः इस अर्थ में केवल उस स्थान को ही नहीं, जहां किसी व्यक्ति की स्थायी आवास स्थान है, बल्कि उस स्थान को भी सम्मिलित किया गया है, जहां व्यक्ति ने ‘पर्याप्त समय’ तक निवास किया हो।

ब्लैक्स लॉ शब्द कोष, 5 वीं संस्करण में ‘निवास करना’ शब्द का अर्थ निम्नलिखित रूप में दिया गया है—

‘निवास करना, डेरा डालना, टिकना, अल्प प्रवास, ठहरना, बने रहना, डेरा डालना; किसी स्थान पर स्वयं या किसी वस्तु को स्थापित करना; तैनात होना, बने रहना या ठहरना; स्थायी या लगातार निवास करना; किसी समय के लिए अपनी निश्चित आवास स्थली रखना; अपने निवास या अधिवास का होना; विशेष रूप से, निवास में होना, एक स्थायी आवास स्थान का होना, किसी तत्व के रूप में उपस्थित होना, एक गुण के रूप में अंतर्निहित होना, अधिकार के रूप में संपन्न होना।’

उसी शब्दकोश में, ‘निवास’ शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है—

किसी निवास-स्थान पर वास्तविक रूप से उपस्थित होना, जहाँ से निकट भविष्य में निश्चित रूप से चले जाने का कोई वर्तमान आशय न हो तथा अनिश्चित अवधि तक

वहाँ रहने का उद्देश्य हो। यह उद्देश्य अनेक मामलों में, यद्यपि आवश्यक रूप से नहीं, स्थायी रूप से रहने के अभिप्राय से भी संयुक्त हो सकता है। निवास के लिए किसी स्थान पर शारीरिक उपस्थिति तथा वहाँ बने रहने का आशय आवश्यक है; अर्थात् किसी स्थान पर रहना, बसना, वहाँ ठहरना और निवास बनाए रखना। निवास, तथ्य और आशय—इन दोनों का समन्वय है; अर्थात् निवास का तथ्य तथा वहाँ बने रहने का आशय, जो कृत्यों और आशय का संयुक्त परिणाम है। निवास का तात्पर्य केवल शारीरिक उपस्थिति से अधिक तथा अधिवास से कुछ कम है।

यदि उपर्युक्त दोनों अर्थों को 'साधारणतया' शब्द के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर 'सामान्यतः निवासरत' कहा जाने से पहले, उसके पास उस स्थान पर पर्याप्त समय तक रहने का इरादा होना आवश्यक है। इसमें केवल अस्थायी भ्रमण, संक्षिप्त या आकस्मिक उपस्थिति शामिल नहीं होगी।

"निवास करना" शब्द पर इस न्यायालय द्वारा *जागीर कौर और एक अन्य बनाम जसवंत सिंह*, (1964) 2 एस.सी.आर. 73 में विचार किया गया था। यह विचार दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 488 के अधीन पत्नी द्वारा भरण-पोषण हेतु प्रस्तुत याचिका पर विचार करने के संबंध में दंडाधिकारी की अधिकारिता के संदर्भ में किया गया था। ऊपर उद्धृत ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में "निवास करना" शब्द के अर्थ पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की :

"उन्होंने कहा कि इस शब्द का अर्थ, अतः, किसी स्थायी आवास के साथ-साथ किसी स्थान में अस्थायी निवास को भी शामिल करता है। अतः यह विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कठोरतम और तकनीकी अर्थ में अधिवास और अस्थायी निवास दोनों शामिल हैं। चाहे इसे जो भी अर्थ दिया जाए, एक बात स्पष्ट है कि इसमें किसी विशेष स्थान पर आकस्मिक ठहराव या संक्षिप्त भ्रमण शामिल नहीं होता। संक्षेप में, इस शब्द का अर्थ, अंतिम विश्लेषण में, किसी विशिष्ट संविधि के संदर्भ और उद्देश्य पर निर्भर करेगा। इस मामले में, वर्तमान संविधि के संदर्भ और उद्देश्य निश्चित रूप

से इसके तकनीकी अर्थ में अधिवास की अवधारणा को लागू करने के लिए बाध्य नहीं करते।”

(जोर दिया गया)

इस मामले के तथ्यों को 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 20 में निहित वैधानिक प्रावधानों तथा ‘निर्देशों’ के कंडिका 5 में निहित प्रावधानों के प्रकाश में विचार करते हुए, चूँकि उत्तरदाता के माता-पिता, स्वीकार्य रूप से, जिला हावड़ा में 30 वर्षों से अधिक समय से निवास कर रहे थे, अतः उन्हें उस जिले में ‘सामान्यतः निवासरत’ माना जाएगा और केवल इस तथ्य से कि उनके पास बिहार राज्य के जिला सिवान के किसी गाँव में कुछ संपत्ति है, उनकी स्थिति प्रभावित नहीं होगी।”

अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इसके पश्चात अपने तर्कों में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून में समझे जाने वाले ‘अधिवास’ की अवधारणा को लागू करने का प्रयास किया और यह तर्क प्रस्तुत किया कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर ‘सामान्यतः निवासरत’ कहा जाने से पहले, उसे उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो ‘अधिवास’ की स्थापना के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि उत्तरदाता का जन्म बिहार राज्य के एक गाँव में हुआ था, अतः उसे उस राज्य में जन्मस्थली का अधिवास माना जाना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

टॉमलिन लॉ शब्दकोश में, "अधिवास" को "वह स्थान जहाँ एक आदमी का अपना घर हो" के रूप में परिभाषित किया गया है।

व्हिकर बनाम ब्रूम, 28 एल. जे. सीएच.396 , में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति के अधिवास का अर्थ है, आम तौर पर, वह स्थान जहाँ उसका स्थायी घर है।

मैक मुलेन बनाम वैड्सवर्थ, 14 ए. सी. 631 में यह अवलोकित किया गया कि रोमन विधि का यह सिद्धांत आज भी मान्य है कि अधिवास की स्थापना मात्र मौखिक घोषणा से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आचरण एवं कृत्यों से होती है।

लॉर्ड मैकनाघटेन ने *विनान्स बनाम ए.जी.*, (1904) ए. सी. 290 में यह अवलोकन किया कि—‘मूल अधिवास’, या जैसा कभी-कभी इसे कम सटीक रूप से ‘जन्मस्थली का अधिवास’ कहा जाता है, पसंद के अधिवास से मुख्यतः इस प्रकार भिन्न होता है कि इसका स्वभाव अधिक स्थायी होता है, इसका पकड़ अधिक मजबूत होता है और इसे उतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।’

रॉस बनाम रॉस, (1930) ए.सी. 1 में, लॉर्ड बक्मास्टर ने अधिवास परिवर्तन से संबंधित एक मामले में यह अवलोकन किया कि—‘इरादे के घोषणाओं को सही रूप में अधिवास परिवर्तन के प्रश्न को निर्धारित करने के लिए माना जाता है, परंतु इन्हें उस व्यक्ति, उनके उद्देश्यों और जिन परिस्थितियों में ये घोषणाएँ की गई हैं, के संदर्भ में विचार कर परीक्षण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इन घोषणाओं को उस व्यवहार और कृत्यों द्वारा पुष्ट और क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो घोषित अभिव्यक्ति के अनुरूप हों।’

एक अन्य मामले, अर्थात् *रामसे बनाम लिवरपूल रॉयल इन्फर्मरी*, (1930) ए.सी. 538 में, लॉर्ड डुनेडिन ने पृष्ठ 594 पर यह अवलोकन किया कि—‘अधिवास परिवर्तन का इरादा निवास के तथ्य से अनुमानित किया जा सकता है।

व्युत्पत्तिशास्त्रीय दृष्टि से "निवास" और "अधिवास" दोनों का अभिप्राय समान प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही किसी व्यक्ति के "स्थायी गृह" का संकेत करते हैं। तथापि, अंतरराष्ट्रीय निजी विधि के अंतर्गत "अधिवास" का अर्थ कुछ भिन्न होता है तथा इसके अनेक आयाम हैं। किसी व्यक्ति का स्थायी गृह होने पर भी उसका वाणिज्यिक अधिवास, राजनीतिक अधिवास अथवा न्यायिक अधिवास हो सकता है। इसी प्रकार अधिवास के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे—जन्मजात अधिवास, स्वेच्छा से ग्रहण किया गया अधिवास, विधि के प्रवर्तन

से उत्पन्न अधिवास तथा आश्रित अधिवास। अंतरराष्ट्रीय निजी विधि में "अधिवास" की अवधारणा न्यायशास्त्रीय दृष्टि से सर्वथा भिन्न है। विधियों के संघर्ष के क्षेत्र में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय पर डायसी ने अपनी पुस्तक "कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ लॉज़" (6 वीं संस्करण) में विस्तारपूर्वक विचार किया है। इसी प्रकार फिलिमोरे की पुस्तक अधिवास में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त, निजी अंतराष्ट्रीय न्यायशास्त्र पर फूटे और वेस्टलेक द्वारा की गई चर्चाएँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हम न्यायमूर्ति पी. बी. मुखर्जी की पुस्तक न्यू जुरीसप्रूडेंस (आधुनिक कानून का व्याकरण) (टैगोर लॉ व्याख्यान) से कुछ उद्धरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

कुछ सिद्धांत जो अधिवास से संबंधित हैं, सामान्य कानून वाले देश में दृढ़ रूप से स्थापित हो गए हैं। इन सिद्धांतों को *उडनी बनाम उडनी*, (1869) एल.आर. 1 एससी.ऐप. 441 के प्रसिद्ध मामले के संदर्भ में प्रतिपादनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है— प्रत्येक व्यक्ति को हर समय अधिवास का अधिकारी माना जाना चाहिए। किसी समय पर केवल एक ही अधिवास हो सकता है और किसी व्यक्ति के पास बहुल अधिवास नहीं हो सकता। मूलभूत प्रश्न कि कौन-से तथ्य अधिवास का निर्माण करते हैं या नहीं करते, सामान्यतः निर्णय करने वाले उस देश के न्यायालय की स्थानीय कानून द्वारा तय किया जाता है। इस प्रकार, *लेक्स फोरी* इस रेनोवी के प्रश्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ अधिवास एक सम्बंधक कारक है। *कसडागली बनाम कसडागली*, (1919) ए. सी. 145 किन्तु निजी अंतराष्ट्रीय न्यायशास्त्र का कठिन पहलू यह है कि कानून के चयन का पूरा प्रश्न अभी तक इस बात के निर्धारण में शामिल नहीं किया गया है कि किसी व्यक्ति की अधिवास प्राप्त करने की क्षमता को किस कानून के तहत नियंत्रित किया जाना चाहिए। (इन रे:वालाच,, (1950) । सभी ई.आर. 199)। स्पष्ट है कि निजी अंतराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में यह खाई काफी समय से

भरी जानी बाकी है। यह संभव है कि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के मामलों के लिए एक ही कानून का चयन पर्याप्त न हो।

अधिवास का शास्त्रीय विभाजन व्यापक रूप से जाना-पहचाना है। इसमें मूल अधिवास, पसंद का अधिवास और आश्रित अधिवास शामिल हैं। इन तीनों अधिवासों की मौलिक अवधारणा में बहुत कम परिवर्तन हुआ है।

अधिवास और निवास भिन्न हैं, फिर भी संबंधित अवधारणाएं हैं। सामान्यतः अधिवास किसी व्यक्ति के निजी जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों जैसे विवाह, वैधता और उत्तराधिकार में क्षेत्राधिकार के आधार के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर, निवास ऐसे मामलों में क्षेत्राधिकार का आधार बनता है, जैसे कराधान, मतदान का अधिकार, कुछ विवाह संबंधी प्रश्नों के पक्ष, और सामान्यतः उन मामलों में जहाँ सार्वजनिक अधिकार शामिल हों।

उपर्युक्त विचारों के प्रकाश में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस 'अधिवास' की अवधारणा की वकालत की है, जो राष्ट्रीयता परिवर्तन या एक देश से दूसरे देश में अधिवास परिवर्तन के संदर्भ में आधारित है, इसे वर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, 'अधिवास' और 'निवास' सापेक्ष अवधारणाएँ हैं और इन्हें उस संदर्भ में समझना आवश्यक है जिसमें ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, तथा उस अधिनियम की प्रकृति और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिसमें ये शब्द प्रयुक्त हैं। हमारा मुख्य ध्यान उस अभिव्यक्ति 'आमतौर पर निवास करते हैं' पर है, जैसा कि 'निर्देशों' के कंडिका 5 में प्रयुक्त है, और उस अभिव्यक्ति 'साधारण निवासी' पर है, जैसा कि 1950 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 20 में प्रयुक्त है। यह अधिनियम और 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम दोनों निर्वाचन संबंधी मामलों से संबंधित हैं, जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन,

निर्वाचन में प्रतिस्पर्धा का अधिकार, तथा किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का अधिकार शामिल हैं।

हमने पहले ही 'साधारण निवासी' शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं और पाया है कि यद्यपि उत्तरदाता के माता-पिता एक समय बिहार राज्य के जिला सिवान के एक गाँव में रहते थे और उनके पास वहाँ कुछ संपत्ति भी थी, वे बहुत पहले पश्चिम बंगाल राज्य में स्थानांतरित हो गए थे और तब से वहीं निवास कर रहे थे। अतः सभी दृष्टियों से उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में सामान्यतः निवासरत माना जाएगा। पश्चिम बंगाल राज्य के लिए, राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 341(1) को अनुच्छेद 366(24) के साथ पढ़कर 'नुनिया' जाति को अनुसूचित जाति घोषित किया था। अतः उत्तरदाता को सही रूप से अनुसूचित जाति उम्मीदवार माना गया और 1966 में भारतीय प्रशासनिक एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद आरक्षित पद पर नियुक्ति दी गई।

हम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय में कोई दोष नहीं पाते हैं और इसे यथावत् बरकरार रखा जाता है। चूँकि अपील में कोई गुण-दोष नहीं है, अतः इसे खारिज किया जाता है, परन्तु व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता।

एन. जे.

याचिका खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।